भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2843

सोमवार, 21 मार्च, 2022 / 30 फाल्गुन, 1943 (शक)

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

2843. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कितने असंगठित मजदूर आते हैं;

(ख) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शामिल करने संबंधी मानदंड ओर दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए उनकी पहचान की है और उनका पंजीकरण किया है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में अब तक पहचान किए गए और पंजीकृत मजदूरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत शामिल असंगठित कामगारों की संख्या निम्नानुसार है:

i) असंगठित कामगारों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना - 18.02.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 1560 कामगारों को पंजीकृत किया गया है।

ii) संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) - 27.10.2021 की स्थिति के अनुसार, 78,113 लाभार्थी पंजीकृत।

iii) संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) - 27.10.2021 की स्थिति के अनुसार, 1,40,561 लाभार्थी पंजीकृत।

iv) आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) - नवंबर, 2021 तक, कुल 61,950 परिवारों को कवर किया गया है।

(ख): असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं बनायी गई हैं:

i) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है।
ii) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए जीवन और अपंगता कवर प्रदान करती है। पीएमजेजेबीवाई के तहत किसी भी कारण से मृत्यु पर 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का लाभ मिलता है।
iii) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के कामगारों के लिए लागू है। पीएमएसबीवाई के तहत 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण मृत्यु और स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये का लाभ मिलता है।
iv) आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक उपचार सुविधाओं हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार नि:शुल्क 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध करायी जाती है।

(ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के कामगारों को केंद्र/राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याण योजनाओं की प्रदायगी की सुविधा के लिए असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है।

(घ): 14.03.2022 की स्थिति के अनुसार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के कुल 71,473 कामगारों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत किया गया है।

*****